न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी-3151/2018/सतना/भू.रा

पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह जू देव पुत्र स्व. महाराजा आंनद प्रताप सिंह जू देव निवासी बरौंधा तहसील मझगंवा जिला सतना (म.प्र.)
द्वारा मुख्त्यारआम महेश प्रसाद यादव पिता श्री शिवबाल यादव ग्राम शाहपुर (गहिरा) तह. मझगंवा जिला सतना (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती भूरी बाई चमार पुत्री स्व. श्री बुलुआ चमार
2. बदवा चमार पुत्र स्व. श्री बुलुआ चमार

दोनों निवासी ग्राम बरौंधा तह. मझगंवा जिला सतना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव
द्वारा आज दि. 23.5.18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 5-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार वृत बरौंधा तहसील मझगंवा जिला सतना द्वारा प्र.कं. 3/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 18.5.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार निवेदन है कि :-

(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/3151/18/सतना/भूरा, भूरी चमार / बदवां चमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
07/01/19	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार खरवरोंधा, मझगवां के प्रकरण क्रमांक 03/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 18/05/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	